न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–24/2023

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.10.2025	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 11.06.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 29.10.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि मनमुदई की ओर से एक अन्य आवेदन पूर्व में दिनांक 18.12.2024 को दिया गया है किन्तु मुदालह के प्रतिउत्तर से उक्त आवेदन में चंद प्रकार की त्रुटि होना जाहिर हुआ है। मुदालह सं0–20 राजमोहन साह तथा मुदालह सं0–23 राजुल मियाँ नालिस दाखिल होने के पूर्व स्वर्गवासी हो चुके थे किन्तु मनमुदई के जानकारी के अभाव में उपरोक्त दोनों मृत व्यक्तियों की इस वाद में पक्षकार बना दिया गया है। यह वाद उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चल रहा है जो विधि सम्मत नहीं है और न्यायहीत में इस त्रुटि को सुधार लिया जाना आवश्यक है। मुदालह सं0–20 राजमोहन साह की दो शादियाँ हुई, जिसमें पहली पत्नी से सरसती देवी से राजमोहन साह को एक पुत्र नंदकिशोर साह और एक पुत्री निर्मला देवी हुए। राजमोहन साह की पहली पत्नी सरसती देवी स्वर्गवास कर चुकी है तथा राजमोहन साह ने दुसरी शादी अनिता देवी उर्फ कलावती देवी से की जिससे राजमोहन साह को तीन पुत्र चंदन साह, चंद्रेश्वर साह,	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–24/2023</u>

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.10.2025	अरविन्द साह तथा दो पुत्री रीना देवी और सीमा देवी है। लिहाजा, मृत मुदालह सं0–20 की दूसरी पत्नी अनिता देवी उर्फ कलावती देवी तथा उपरोक्त चार लड़को और तीन लड़कियों को राजमोहन साह का नाम वाद पत्र के मुदालह खाने से कलमजद कर उनके स्थान पर जोड़ देना जरूरी है। इसी प्रकार मुदालह सं0–23 राजुल मियाँ अपने पीछे अपनी एक पुत्री कुसुमतारा खातून को छोड़ कर मरे है। लिहाजा वाद पत्र के मुदालह खाने से मुदालह सं0–23 राजूल मियाँ का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनकी पुत्री कुसुमतारा खातून का नाम जोड़ देना न्यायहित में जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मनमुदई का संशोधन आवेदन स्वीकृत करते हुए मुदालह सं0–20 राजमोहन साह तथा मुदालह सं0–23 राजूल मियाँ का नाम नालिस के मुदालह खाने से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसो के नाम आवेदनानुसार जोड़ने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं वादी का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा एक संशोधन आवेदन दिनांक 11.06.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया है कि	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–24/2023</u>

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.10.2025	मुदालह सं0–20 राजमोहन साह तथा मुदालह सं0–23 राजूल मियाँ का नाम नालिस के मुदालह खाने से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसो के नाम आवेदनानुसार जोड़ने की अनुमति प्रदान किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादी द्वारा आवेदन में वर्णित सभी संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 11.06.2025 को मो0–1000 रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करे। वाद दिनांक 09.12.2025 को वादी द्वारा वाद पत्र में संशोधन वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	